राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : 27 जुलाई, 2017

सं. एफ.12(16)एफडी/टैक्स/2009–09:– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(16)एफडी/टैक्स/2009–09 दिनांक 30.04.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, 30 अप्रैल, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क के साथ पठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 12 (14) एफडी/टैक्स/2017–96 दिनांक 08.03.2017 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

(i) खण्ड 1 के उप–खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "30 अप्रैल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 मई, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर, 2016" के स्थान पर अभिव्यक्ति "28 फरवरी, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड 4 में,–

(क) सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "31.12.2016" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "28.02.2017" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "30.04.2017" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.05.2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) स्पष्टीकरण संख्यांक (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "30 अप्रैल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 मई, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) खण्ड 5 के उप–खण्ड (1) में,

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "30.04.2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.05.2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "07.05.2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "07.06.2017" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.12(16)एफडी/टैक्स/2009–09]
राज्यपाल के आदेश से,

ह0
(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण गजट में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
4. महालेखाकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव